उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

आदेश वरूध अपील संख्या **22 / 2021**

न्यू इं डया एस्योरेंस कंपनी ल मटेड ..... अपीलार्थी

बनाम

जयेंद्र संह रावत और अन्य ..... प्रत्यर्थी

साथ में

आदेश वरूध अपील संख्या **23 / 2021**

न्यू इं डया एस्योरेंस कंपनी ल मटेड ..... अपीलार्थी

बनाम

कमल चंद रमोला और अन्य ..... प्रत्यर्थी

उपस्थित –

श्री पी. सी. मौलेखी, अपीलकर्ता के अ धवक्ता।

श्री निरंजन भट्ट, प्रतिवादी संख्या **1** और **2** के लए अ धवक्ता।

श्री देवेश घिल्डियाल, प्रतिवादी संख्या **3** के लए अ धवक्ता।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे. (मौ खक)

यद्य प कर्मचारी क्षतिपूर्ति अ धनियम, 1923 की धारा 30 के तहत आदेश से ये अपीलें धन निकासी आवेदन पर वचार करने के लए आदेशों के शीर्ष के तहत सूचीबद्ध हैं, जो दावेदार प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दायर कया गया है। ले कन तब से सभी पक्ष संयुक्त रूप से सहमत हैं क यदि आदेशों से अपील का अंत में निर्णय लया जाता है, तो उन्हें कोई शकायत नहीं हो सकती है।

2. इस प्रकार, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अ धनियम की धारा 30 के तहत कानूनी रूप से, अपीलीय न्यायालय का अ धकार क्षेत्र इस महत्वपूर्ण प्रश्न तक सी मत है कानून जो उसमें वचार के लए शा मल है। जब आदेश की इन अपीलों को समन्वय पीठ के समक्ष लया गया था, तो उन्हें 01.03.2021 के आदेश द्वारा स्वीकार कया गया था और अपीलार्थी द्वारा कये गए एकमात्र प्रश्न का प्रभाव निम्न ल खत थाः --

" ववादित बात यह है क दी गई रा श का भुगतान कौन करेगा और अपीलार्थी के अनुसार, अपीलार्थी का तर्क है क वह भुगतान करने के लए उत्तरदायी नहीं है।"

3. कानून के इस प्रश्न के आधार पर, अपीलार्थी का वकील 2017 के ई. सी. पी. मामले संख्या 48, जयेंद्र संह बनाम जयवीर संह असवाल और एक अन्य में 23.12.2020 पर कर्मचारी मुआवजा आयुक्त द्वारा लए गए निर्णय पर सवाल उठाते हुए आदेश से तत्काल अपील की। जिसके तहत, कर्मचारी मुआवजा आयुक्त ने दावेदारों को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से देय ब्याज के साथ रु. 6,75,660 का मुआवजा दिया है।

4. तथ्यों पर वचार कया जा रहा है क दावेदारों द्वारा अ धनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 20 के साथ पढ़ने के लए धारा 22 के तहत कर्मचारी मुआवजा आयुक्त के समक्ष एक दावा या चका दायर की गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था क स्वर्गीय श्री मनीष रावत जो श्री जयवीर संह की फर्म में कार्यरत थे, जिन्होंने इस अव ध में अपनी नौकरी के दौरान, वह **16.05.2017** पर एक दुर्घटना का शकार हो गए और परिणामस्वरूप, उनका दुखद निधन हो गया। दुखद मृत्यु और मृतक को उपार्जित आय के परिणामस्वरूप, जो क थत रूप से 10,000/- प्रति माह थी, आ श्रतों जयेंद्र संह रावत और अ मता देवी द्वारा कर्मचारी मुआवजा आयुक्त के समक्ष मुआवजे के भुगतान के लए दावा कया गया था, क्यों क मृतक और मा लक के बीच मा लक और नौकर के संबंध बने हुए थे।साक्ष्य द्वारा यह पाया गया क मृत्यु के समय मृतक की आयु 19 वर्ष थी और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अ धनियम के परि शष्ट 4 के अनुसार, कर्मचारी, जिनकी आयु 19 वर्ष है, उनके आ श्रत उसमें निर्धारित मापदंडों के अनुसार पर्याप्त मुआवजे के हकदार होंगे।इसके अलावा, संघ के लए एक अतिरिक्त रा श देय होगी, साथ ही दाह संस्कार के खर्च को पूरा करने के लए भी नियोक्ता द्वारा वहन कया जाना था। कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष प्रतिवादी ने कागज संख्या 63 (ख) के रूप में ल खत बयान दा खल करके मामला दर्ज कया है, जिसमें वह स्वीकार करता है क मृतक और प्रतिवादी के बीच स्वामी और सेवक का संबंध था। ले कन उनका तर्क है क चूं क, दुर्घटना की ति थ को, वाहन का बीमा बीमा कंपनी के साथ कया गया था, इस लए, यदि कोई हो, तो मुआवजे का निर्धारण का दायित्व वाहन के बीमाकर्ता पर तय कया जाना था ।

5. अपीलकर्ता ने भी इसमें एक ल खत बयान दायर कया था जो पेपर संख्या 27 (ख) था। इस प्रकार दायर कए गए ल खत बयान में, 16.05.2017 पर दुर्घटना के तथ्य को स्वीकार करने और इस तथ्य को स्वीकार करने के संबंध में एक अतिरिक्त या चका दायर की गई थी क वाहन का बीमा कंपनी के साथ बीमा कया गया था।

6. महत्वपूर्ण क्या है और जैसा क इस स्तर पर अपीलकर्ता के लए वद्वान अ धवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है, जो क थत रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित है, जैसा क इसे समन्वय पीठ द्वारा तैयार

कया गया था, इस प्रभाव के बारे में था क अ धनिर्णीत रा श का भुगतान करने के लए वास्तव में कौन उत्तरदायी होगा, क्यों क बीमाकर्ता अपीलार्थी यहाँ प्रस्तुत करता है क वे रा श का भुगतान करने के लए उत्तरदायी नहीं होंगे। अपीलार्थी के दायित्व का प्रश्न हमेशा उन तथ्यों के निर्धारण पर निर्भर करेगा, जिन्हें केवल कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त की कार्यवाही के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करके प्रमा णत करने की आवश्यकता थी और केवल साक्ष्य के निर्धारण पर ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है क मुआवजे के भुगतान का दायित्व कसके पास स्थानांतरित कया जा सकता है। ले कन तत्काल मामले में जो महत्वपूर्ण है, वह यह है क इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के अ धवक्ता द्वारा जिस प्रश्न पर तर्क दिया गया, वास्तव में, अपीलार्थी ने, क थत अ भवचन के बावजूद, कभी भी कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष इस आशय का कोई मुद्दा नहीं बनाया है और न ही कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त द्वारा दायित्व के निर्धारण के संबंध में उस संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज कया गया है, सवाय इस तथ्य के क दावेदार द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर, जो नियोक्ता के साथ स्वामी-सेवक संबंध के अस्तित्व से संबं धत है और बीमा दस्तावेजों के संबंध में भी पेपर संख्या 65 और 66 (ग्), साक्ष्य है। इससे साबित होता है क अपीलार्थी के साथ इसका बीमा कया गया था।

7. वद्वान कर्मचारियों क्षतिपूर्ति आयुक्त ने मुद्दा संख्या 3 पर निर्णय लेते समय मुआवज़े का निर्धारण और मात्रा निर्धारण करते समय, रिकॉर्ड पर रखे गए प्रमाण सबूतों को ध्यान में रखा था, क मृतक को निश्चित रूप से वपरीत पक्ष संख्या 1 का एक कर्मचारी साबित कया गया था और 6,000/- रुपये प्रति माह की रा श कमा रहा था और दुर्घटना की तारीख पर, रोजगार के दौरान उसकी दुखद मृत्यु हो गई, क्यों क भूस्खलन के कारण वाहन मट्टी में डूब गया था।

8. मृतक की आयु साबित करने के लए, मृतक का हाई स्कूल प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर रखा गया था जो इस तथ्य को साबित करता है क मृत्यु की तारीख को दुर्घटना में उनकी आयु 19 वर्ष थी। उपर्युक्त सद्धांतों के आधार पर, वद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण ने मृतक को 6,000/- रुपये की उपार्जित आय और अनुबंध 4 के अनुसार रुपये 226.38/- ने कुल मुआवजे को रुपये 6,75,660/- के रूप में निर्धारित कया था और तदनुसार, 23.12.2020 पर दावा या चका की अनुमति दी गई थी।

9. इस तर्क को पूरा करने के लए क वाहन के मा लक और मृतक के नियोक्ता पर मुआवजे के भुगतान के दायित्व को स्थानांतरित करने के प्रयास के संबंध में अपीलार्थी के वद्वान वकील द्वारा इसे बढ़ाया गया है, वास्तव में, इस न्यायालय का वचार है क यह कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल नहीं हो सकता है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, वशेष रूप से जब, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न की ऐसी प्रकृति के लए तथ्यों के पूर्व निर्धारण की आवश्यकता होती है और बीमा

कंपनी ल खत ववरण पत्र संख्या 27(ख) में उठाए गए अ भवचन के संबंध में तथ्य से सचेत थी, तब वास्तव में यह बीमा कंपनी की जिम्मेदारी थी क वह कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष एक उ चत मुद्दा तैयार करे और धारा 30 के तहत एक उ चत चरण में, पहली बार उक्त मुद्दे पर दबाव डालने के बजाय सबूत के आधार पर निष्कर्ष वापस करे, क्यों क कसी भी सबूत के अभाव में कसी मुद्दे के आधार पर उ चत रूप से तैयार कया जा रहा था । चूँ क मोटर दुर्घटना दावा न्याया धकरण द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं लया गया था, और न ही अपीलार्थी द्वारा निष्कर्षों को वापस करने का प्रयास कया गया था, वे धारा 30 के तहत पहली बार अपीलीय न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, जो क वास्तव में शा मल महत्वपूर्ण प्रश्न के आधार पर वचार करने तक सी मत था और इस स्तर पर, वे अ धनिर्धारित रा श के भुगतान के दायित्व को निर्धारित करने के लए साक्ष्य की पुनः सराहना नहीं कर सकते हैं, चाहे इसका भुगतान मृतक के नियोक्ता द्वारा कया जाना है या बीमा कंपनी द्वारा ।

10. इस स्वीकार कए गए तथ्य को ध्यान में रखते हुए क दुर्घटना संयोग से हुई थी और मा लक और नौकर का एक स्वीकृत मौजूदा संबंध था, इस तथ्य के साथ क वाहन का बीमा, बीमा कंपनी के साथ कया गया था, जिस दायित्व पर बीमा कंपनी को चुनौती के तहत ववादित वचार द्वारा तय कया गया है, वह कानून की कसी स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त नहीं है, न ही इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शा मल है क्यों क यह इस न्यायालय द्वारा उत्तर दिए जाने के लए अपील स्वीकार करने के समय समन्वय पीठ द्वारा तैयार कया गया था।

11. इस प्रकार अपील में योग्यता का अभाव है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)
12.12.2023

र व